1	2	3
15.	उडीसा	1
16.	पंजाब	228
17.	राजस्थान	23
18.	तमिलनाडु	452
19.	त्रिपुरा	1
20.	उत्तर प्रदेश	361
21.	पश्चिम बंगाल	23
22.	सिक्किम	–
23.	अंडमान निकोबार	1
24.	अरूणाचल प्रदेश	–
25.	चंडीगढ़	1
26.	दादर एवं नागर हवेली	–
27.	दिल्ली	–
28.	दमण और दीव	–
29.	एल.एम.एड ए. आइलैंड	–
30.	मिजोरम	–
31.	पांडिचेरी	–
32.	गोवा	27
33.	स्थान का उल्लेख नहीं/एक से अधिक जगह पर स्थापित यूनिटें	1245
	कुल	3416

दस्तकारों को आधुनिक औजार प्रदान किया जाना

1202. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश में, विशेष रूप से पंजाब राज्य में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों के दस्तकारों को प्रदान किए गए आधुनिक औजारों के संबंध में ब्यौरा क्या है, और

(ख) वर्ष 1996-97 के लिए इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार और जिला-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा): (क) यह मंत्रालय गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म की औजार किटों की सप्लाई की योजना कार्यान्वित कर रहा है। इसके अन्तर्गत लौहार, बढ़ई, पत्थर तराशने वाले, चमड़े का काम करने वाले तथा कुम्हार आदि जैसे दस्तकारों को आधुनिक औजार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना के अन्तर्गत देश में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े अल्प संख्यक समुदायों से संबंधित दस्तकारों को भी कवर किया जाता है बशर्ते कि वे गरीबी की रेखा से नीचे के परिवार से संबंधित हों। तथापि, यह मंत्रालय विशेष रूप से इन वर्गों से संबंधित लाभार्थियों की संख्या की निगरानी नहीं करता है। गत तीन वर्षों के भारत सरकार द्वारा पंजाब राज्य में दस्तकारों को उपलब्ध कराए गए आधुनिक औजार निम्नानुसार हैं:

वर्ष	दस्तकारों को उपलब्ध कराए गए आधुनिक औजारों की संख्या
1993-94	3900
1994-95	5000
1995-96	3508

(ख) योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 40 करोड़ रुपए का परिव्यय है। लक्ष्यों और परिव्ययों का अनंतिम राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में देखा जा सकता है। जिलावार आबंटन राज्यों द्वारा किया जाएगा।

विवरण

लक्ष्यों और परिव्ययों का अनंतिम राज्य वार ब्यौरा-औजार किट योजना

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबंटन (रुपए लाख में)	लक्ष्य
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	313.14	17400
2.	अरूणाचल प्रदेश	43.20	2400
3.	असम	94.68	5260
4.	बिहार	564.12	31340
5.	गोवा	7.20	400
6.	गुजरात	98.00	5500
7.	हरियाणा	61.29	3200
8.	हिमाचल प्रदेश	43.20	2400
9.	जम्मू व कश्मीर	50.40	2800
10.	कर्नाटक	193.14	10730
11.	केरल	70.20	3900
12.	मध्य प्रदेश	364.50	20250
13.	महाराष्ट्र	313.56	17420
14.	मणिपुर	18.00	1000
15.	मेघालय	25.20	1400

1	2	3	4
16.	मिजोरम	10.80	600
17.	नागालैण्ड	25.20	1400
18.	उड़ीसा	233.28	12960
19.	पंजाब	61.20	3400
20.	राजस्थान	151.38	8410
21.	सिक्किम	14.40	800
22.	तमिलनाडु	259.92	14440
23.	त्रिपुरा	10.80	600
24.	उत्तर प्रदेश	700.92	38940
25.	पश्चिम बंगाल	257.76	14320
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	4.80	266
27.	दादर व नगर हवेली	2.60	144
28.	दमन व दीव	3.60	200
29.	लक्षद्वीप	*	-
30.	पांडिचेरी	3.60	200
	कुल	**4000.00**	**222220**

*वर्ष 1996-97 के दौरान संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप को निधियों की आवश्यकता नहीं है।

Employment on Compassionate Ground in D.D.A.

1203. SHRIMATI MALTI SHARMA:
SHRI RAJNATH SINGH:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the criteria adopted for providing employment on compassionate ground to the wards of deceased employees in the DDA;

(b) the number of requests received in this regard during the last three years, year-wise and category-wise; till date;

(c) the number of persons provided employment so far, category-wise;

(d) the reasons for delay in settling all the cases; and

(e) by when all these cases are proposed to be settled?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) The Government's instructions regarding employment on compassionate grounds are applicable in the Delhi Development Authority. According to the instructions, wards of deceased employees of DDA are eligible for appointment against group 'C' and group 'D' posts subject to fulfilment of certain conditions, if the pecuniary condition of the family of deceased employee is poor and needs immediate assistance. The appointment on compassionate grounds is to be made against vacancies meant for compassionate appointments only.

(b) The number of requests received (in complete manner) in DDA for appointment on compassionate grounds from the wards of deceased employees of different groups during the last three years, year-wise and category-wise, till date, is as under:—

Year	GR. A'	GR. B'	GR. C'	GR. D'	Total
1994	-	3	17	76	96
1995	-	7	9	78	94
1996	-	2	7	50	59

(c) The number of persons provided with the employment so far during three years, category-wise, is as under:—

Year	GR. C'	GR. D'	Total
1994	1	-	1
1995	4	32	36
1996	1	-	1

(d) and (e) As per the Government policy, appointment on compassionate grounds is to be made against vacancy meant for compassionate appointment. On account of surplus staff in DDA appointments could not be offered in these cases. The settlement of these cases depends upon the availability of vacancies meant for compassionate appointment.

पेट्रोल पम्प/गैस एजेंसी के आबंटन हेतु विवेकाधीन (एच्छिक) कोटे को समाप्त किया जाना

1204. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल पम्प/गैस एजेंसी इत्यादि का आबंटन करने के संबंध में मंत्री के विवेकाधीन (ऐच्छिक) कोटे को समाप्त कर दिया है;